PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Sun, 25 Dec 2016, Page 16
Width: 11.63 cms, Height: 25.69 cms, a4, Ref: 29.2016-12-25.109

जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें नहीं लड़ने दें चुनाव : बाल आयोग

नई दिल्ली। बाल अधिकारों की शीर्ष संस्था ने सभी राज्य सरकारों से आह्वान किया है और कहा है कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों और पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करें।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उसके बच्चे के स्कूल का प्रमाणपत्र देना पड़ेगा कि उसके बच्चे का वहां नामांकन है। इतना ही नहीं यह भी बताना होगा कि बच्चा नियमित स्कूल जाता है। हालांकि यह नियम ऐसे प्रत्याशियों पर लागू होगा जिनका बच्चा 6 से 14 साल का है। शिक्षा के अधिकार कानून और बाल अधिकार संस्था की सदस्य प्रियंका कानूनगो ने कहा है कि उन्होंने सभी राज्यों से अपील की है कि वह स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव कानून में संशोधन करे। उनसे कहा है कि जो भी व्यक्ति यह चुनाव लड़ना चाहता है कि उसे उक्त प्रमाणपत्र देना पड़ेगा।

कानूनगो ने कहा कि यह सुझाव संविधान के 86वें संशोधन से लिया गया है। इसे अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया है और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 में भी शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। एनसीपीसीआर अधिकारी ने कहा कि यह कदम जागरूकता लाने में मील का पत्थर साबित होगा। एजेंसी